वेदांत लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है।)

बनाम

गोवा फाउंडेशन और अन्य

(पुर्नविचार याचिका (सिविल) डायरी संख्या 18447/2020)

09 जुलाई, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, जे. जे.]

उच्चतम न्यायालय नियम, 2013: आर्डर XLVII नियम 2 - निर्णय की समीक्षा - नियम 2 आर्डर XLVII के अनुसार किसी निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन निर्णय या आदेश की तारीख के तीस दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए, जिसमें समीक्षा करने की मांग की गई थी –दोनों पक्षों द्वारा समीक्षा के लिए अपने आवेदन दायर करने में 20 से 26 महीने के बीच की देरी के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया था-अदालत से निर्णय देने वाले न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थीं –इस तरह की प्रथा अदालत के निर्णय लेने की संस्थागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए कठोरता से अस्वीकार्य है – पुनर्विचार याचिकाकर्ता निर्णय से अवगत थे –पुनर्विचार याचिकाएं केवल सीमा के आधार पर खारिज कर दी गईं - हालांकि, किसी भी स्थिति में, निर्णय की समीक्षा के लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया था और पुनर्विचार याचिकाएं गुण – दोष पर भी खारिज कर दी गईं ।

पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने आयोजित किया ।

गोवा फाउंडेशन II में दो – न्यायाधीशों की पीठ, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, क्रमशः 30 दिसंबर 2018 और 6 मई 2020 को इस न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए । गोवा राज्य ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की सेवानिवृत्ति के बाद नवंबर 2019 के महीने में अपनी चार पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी, जबकि वेदांत लिमिटेड ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की सेवानिवृत्ति के ठीक बाद अगस्त 2020 के महीने में अपनी चार पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी। इस न्यायालय के निर्णय

लेने की संस्थागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रथा को कठोरता से अस्वीकार किया जाना चाहिए । पुनरीक्षण याचिकाकर्ता इस न्यायालय के निर्णय से अवगत थे । पुनरीक्षण याचिकाएँ इस आधार पर खारिज की जाती हैं कि –

जबकि किसी भी स्थिति में अकेले सीमावधि का गोवा फाउंडेशन II में फैसले की समीक्षा के लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया है और पुनर्विचार याचिकाओं को गुण-दोष के आधार पर भी खारिज कर दिया जाता है । [पैरा 2,3]

गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड और अन्य (2018)4 एससीसी 218:[2018] 2 एस. सी.आर. 361 के लिए संदर्भित

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2018] 2 एस.सी.आर. 361 में संदर्भित पैरा 1

अंतर्निहित न्याय निर्णयः याचिका (सिविल) डायरी सं . 18447 / 2020

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं . 32138 की 2015 में

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं . 32138 की 2015 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं . 32699 की 2015 की रिट याचिका Nos. 720 और 711 की 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 07.02.2018 के निर्णय

और

पुनर्विचार याचिका (सी) डायरी सं . 41515 की 2019 में एसएलपी (सी) No .32138 की 2015 पुनर्विचार याचिका (सी) सं . 41517 की 2019 में रिट याचिका (सी) सं . 720 में 2015 पुनर्विचार याचिका (सी) डायरी, 41543 की 2019 की एस एल पी (सी) सं . 32699 - 32727 की 2015 पुनर्विचार याचिका (सी) की डायरी सं . 41545 की 2019 में रिट याचिका (सी) सं . 711 की 2015 पुनर्विचार याचिका (सी) की डायरी सं . 18430 की 2020 में एस एल पी (सी) सं . 32707 की 2015 में पुनर्विचार याचिका (सी) की डायरी सं . 18435, रिट याचिका (सी) सं . 711 की 2015 और पुनर्विचार याचिका (सी) की डायरी सं . 18438 की 2015

<u>परिसंचरण द्वारा-</u>

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ द्वारा

1. पुनर्विचार याचिकाओं को गोवा राज्य डायरी संख्या 41515 की 2019 और डायरी संख्या 41517 की 2019, दोनों 650 दिनों की देरी के साथ और डायरी संख्या 41453 की 2019 और डायरी संख्या 41545 की 2019, दोनों 651 दिनों की देरी के साथ) और वेदांत लिमिटेड (पूर्व में सेसा स्टारलाइट लिमिटेड) द्वारा प्राथमिकता दी गई है । मैसर्स सेसा स्टरलाइट लिमिटेड के रूप में) (2020 की डायरी संख्या 18430 में 2020 की डायरी संख्या 18435 में 2020 की डायरी संख्या 18438 में 2020 की डायरी संख्या 18447, सभी चार 907 दिनों की देरी के साथ) गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड और अन्य[1] में इस न्यायालय की दो न्यायधीशों की पीठ के विरुद्ध यह न्यायालय निर्णय 7 फरवरी 2018 को घोषित किया गया ।

2. उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII के नियम 2 के अनुसार, किसी निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन उस निर्णय या आदेश की तारीख के तीस दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए । दोनों पक्षों द्वारा समीक्षा के लिए अपने आवेदन दाखिल करने में 20 से 26 महीने की देरी के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है । गोवा फाउंडेशन II में दो-न्यायाधीशों की पीठ, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, क्रमशः 30 दिसंबर 2018 और 6 मई 2020 को इस न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए। गोवा राज्य ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की सेवानिवृत्ति के बाद नवंबर 2019 के महीने में अपनी चार पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी, जबकि वेदांता लिमिटेड ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की सेवानिवृत्ति के ठीक बाद अगस्त 2020 के महीने में अपनी चार पुनर्विचार याचिकाओं को प्रस्तुत किया । जबकि वेदांत लिमिटेड ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की सेनानिवृति के ठीक बाद अगस्त 2020 की महीने में अपनी चार पुनर्विचार याचिकाओं को प्रस्तुत किया । इस न्यायालय के निर्णय लेने की संस्थागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस तरह

---

[1](2018) 4 एस सी सी 218 जिसे इसमें इसके पश्चात 'गोआ फाउंडेशन II के रूप में संदर्भित किया गया है |

की प्रथा को कठोरता से अस्वीकार किया जाना चाहिए । पुनर्विचार याचिकाकर्ता इस न्यायालय के निर्णय से अवगत थे ।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इन पुनर्विचार याचिकाओं को केवल सीमाअवधि के आधार पर खारिज करने के लिए इच्छुक हैं । जबकि हालाँकि, किसी भी स्थिति में, हम यह भी पाते हैं कि गोवा फाउंडेशन II में फैसले की समीक्षा के लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया है, और इन पुनर्विचार याचिकाओं को गुण-दोष के आधार पर भी खारिज कर दिया जाता है ।

4. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा भी कर दिया जाता है ।

देविका गुजराल पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी गईं।